

12. मतपत्र दो अथवा दो से अधिक स्तम्भों में होने की स्थिति में दो स्तम्भों के मध्य 1 से.मी. मोटाई की छायादार खड़ी लाईन प्रथम पैनल से उस स्तम्भ के अंतिम पैनल तक अंकित होगी। निर्वाचन की विशिष्टियाबिन्दु संख्या-2 में प्रदान किए गए निर्देशानुसार ही मतपत्र के स्तम्भों के ऊपरी भाग में अंकित की जानी है।
13. निर्वाचन में भाग लेने वाले उम्मीदवारों के नाम हिन्दी वर्णानुक्रम में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची के अनुसार एक दूसरे के नीचे यथास्थिति प्रथम, द्वितीय, तृतीय आदि स्तम्भों में अंकित किए जाएंगे। अंतिम अभ्यर्थी के बाद नोटा (इनमें से कोई नहीं) अंकित किया जाएगा।
14. मतपत्र एक एवं दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में उप सरपंच के लिए नमूना मतपत्र क्रमशः **परिशिष्ट-1** एवं **परिशिष्ट-2** पर उपलब्ध है।

(राजेश वर्मा)

क्रमांक: एफ. 1(2)(1)नपा-पंचा/सा.आ./रानिआ/14/43-48

पंचायत सर्किल का नाम	
सा.नि. / 20.....	
No. 0659562	
प्रशान्त कुमार	
उप सरपंच चुनाव	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
प्रशान्त कुमार	
नोटा (इनमें से कोई नहीं)	

उप सरपंच निर्वाचन के लिए मतपत्र का नमूना
(मतपत्र दो स्तम्भ में मुद्रित होने की स्थिति में)

पंचायत सर्किल का नाम	
No. 0659562	सा.नि. / 20.....
प्रशान्त कुमार 	प्रशान्त कुमार 
उप सरपंच चुनाव	
प्रशान्त कुमार 	प्रशान्त कुमार 
प्रशान्त कुमार 	प्रशान्त कुमार 
प्रशान्त कुमार 	प्रशान्त कुमार 
प्रशान्त कुमार 	प्रशान्त कुमार 
प्रशान्त कुमार 	नोटा (इनमें से कोई नहीं) 
प्रशान्त कुमार 	